आखिरी जांच: 7 अक्टूबर 2026 · Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh

Divyang Vidyarthiyon Ko Shodh Chhatravritti

मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग पीएचडी के लिए पंजीकृत दिव्यांग विद्यार्थियों को हर महीने शोध छात्रवृत्ति देता है।

क्या मिल सकता है

पीएचडी शोध कार्य के लिए हर महीने Rs 16000, यानी साल भर में Rs 1,92,000।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग विद्यार्थी, जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, जो भारत के किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं और जिनके माता-पिता की सालाना आय Rs 1 लाख तक है।

मुख्य शर्तें

- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक का भारत के किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी शोध के लिए साक्षात्कार होकर पंजीयन हुआ हो और उसके पास विश्वविद्यालय का दिया पंजीयन प्रमाण पत्र हो।
- आवेदक ने स्नातकोत्तर उपाधि में यूजीसी नियमों के अनुसार तय न्यूनतम अंक पाए हों।
- माता-पिता या संरक्षकों की सालाना आय Rs 1 लाख से ज़्यादा न हो।
- सक्षम अधिकारी का जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा किया गया हो।

दस्तावेज़

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- विश्वविद्यालय द्वारा जारी पीएचडी पंजीयन प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

1. उच्च शिक्षा संचालनालय आवेदन बुलाने के लिए विज्ञापन निकालता है, इसलिए उसमें बताए तरीके से आवेदन करें।
2. मिले हुए आवेदनों की जांच होती है और तय कोटे के भीतर आवेदकों का चयन किया जाता है।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा की मंज़ूरी के बाद राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://highereducation.mp.gov.in/?page=r%2BDnBkqrUf40vSrJsqR2Dw%3D%3D&leftid=ZnGWU%2BxYVl5%2BNBOUmwU4dg%3D%3D
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-divyang-shodh-chhatravritti/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।